T.A. No-34/2016
(CIS No.3/2020)

01.03.2024 उभय पक्षों की हाजरी है।

अपीलार्थीगण की ओर दिनांक–09.02.2024 को अन्तर्गत आदेश–22 नियम–4 व्यवहार प्रक्रिया संहिता के तहत् एक आवेदन साथ शपथ–पत्र से सम्पुष्ट कर दाखिल किया गया था, जिसका प्रतिउत्तर आज दाखिल किया गया।

पुकार पर उभय पक्ष अपने–अपने विद्वान अधिवक्ताओं के माध्यम से न्यायालय में उपस्थित हुए। अपीलार्थीगण की ओर से दाखिल आवेदन प्रचालित कर निवेदन किया गया कि उत्तरवादी संख्या–1 श्रीमती गोदाबरी देवी पति–श्री उपेन्द्र नारायण सिंह दिनांक–11.11.2023 को अपने पीछे चार पुत्र क्रमशः शंभू प्रसाद सिंह, महेश प्रसाद सिंह, रमेश प्रसाद सिंह एवं कैलाश प्रसाद सिंह को विधिक उत्तराधिकारी के रूप में छोड़कर स्वर्गवासी हो गयी तथा उनके पति भी पूर्व में उनके जीवनकाल में ही स्वर्गवासी हो चुके हैं। ये सभी मृतिका उत्तरवादी संख्या–1 की सम्पत्ति के जन्मसिद्ध विधिक उत्तराधिकारी हैं तथा इनका नाम मेमो ऑफ अपील में उत्तरवादी संख्या–1 के स्थान पर प्रतिस्थापित करना आवश्यक है। प्रतिस्थापन आवेदन सत्यापन तथा शपथ–पत्र से समर्थित है तथा निर्धारित समय–सीमा के भीतर दाखिल किया गया है। अतएव न्यायहित में मृतिका उत्तरवादी संख्या–1 गोदाबरी देवी के नाम को वर्तमान अपील वाद के उत्तरवादी कॉलम से विलोपित कर उनके स्थान पर प्रतिस्थापन आवेदन में अंकित उनके वैद्य उत्तराधिकारियों का नाम प्रतिस्थापित किये जाने का आदेश देने की कृपा की जाय।

उत्तरवादी द्वितीय पक्ष द्वारा दिनांक–01.03.2024 को अपीलकर्तागण के उपरोक्त आवेदन का प्रतिउत्तर दाखिल कर अपीलार्थीगण के आवेदन का कोई विरोध नहीं किया गया, बल्कि सहमति जतायी गयी है।

T.A. No-34/2016
(CIS No.3/2020)

01.03.2024 उभय पक्षों को सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया। उभय पक्षों को सुनने एवं अभिलेख के अवलोकन से प्रतीत होता है कि उत्तरवादी संख्या–1 गोदाबरी देवी की मृत्यु दिनांक–11.11.2023 को हो चुकी है तथा उनके स्थान पर उनके विधिक उत्तराधिकारियों का नाम प्रतिस्थापित करने का अनुरोध किया गया है। अपीलार्थीगण का उक्त आवेदन निर्धारित समय–सीमा के भीतर दाखिल किया है तथा सत्यापन व शपथ–पत्र से समर्थित है। साथ ही उत्तरवादी द्वितीय पक्ष द्वारा भी अपीकर्तागण के आवेदन का विरोध नहीं किया गया है। अतः अपीलार्थीगण की ओर से दाखिल प्रतिस्थापन आवेदन को स्वीकृत किया जाना न्यायहित में आवश्यक प्रतीत होता है। अतएव अपीलार्थीगण द्वारा दिनांक–09.02.2024 को दाखिल आवेदन स्वीकृत किया जाता है। कार्यालय लिपिक प्रस्तुत हकीयत अपील वाद पत्र के उत्तरवादी कॉलम में उत्तरवादी संख्या–1 गोदाबरी देवी का नाम विलोपित करते हुए उसके स्थान पर आवेदन में वर्णित उनके वैद्य उत्तराधिकारियों का नाम प्रतिस्थापित करे।

दिनांक–15.03.2024 वास्ते अग्रतर कार्यवाई हेतु।

लेखापित,

अपर जिला न्यायाधीश–प्रथम,